संख्या— 6 /2019/07—भा0स0/12—5—2019—सा—01/2019

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग—5 **लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी, 2019**

विषयः— लघु एवं सीमान्त किसानों की आय बढ़ाने हेतु ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0—किसान)'' योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्रांक संख्या—1—1/2019—केडिट.। दिनांक 01 फरवरी, 2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.02.2019 को पेश किए बजट में किसान सम्मान निधि की स्थापना की गयी है, जिसमें लघु एवं सीमान्त कृषकों के परिवारों को प्रति वर्ष 6 हजार रूपए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (D.B.T.) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यह धनराशि 4—4 महीने के अन्तराल में 2 हजार रूपए की तीन समान किश्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना को दिनॉक—01.12.2018 से लागू किया गया है एवं दिनॉक—01.12.2018 से 31.03.2019 की समयावधि के लिए देय 2 हजार रूपए की किश्त को अभी लघु सीमान्त कृषक परिवारों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किया जाना है।

2— उपरोक्त के संबंध में भारत सरकार के द्वारा दिनॉक 01.02.2019 को जारी किए गए आदेश में राज्य सरकारों से लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों के नाम पते, बैंक खाता नं0, आधार नं0 (जिन कृषकों के पास आधार नं0 उपलब्ध न हो तो उनका आधार एनरोलमेंट नं0), मोबाइल फोन नं0 इत्यादि उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रथम किश्त आधार नं0 अथवा भारत सरकार के उक्त पत्र में उल्लिखित किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर दी जा सकती है किन्तु वित्तीय वर्ष 2019—2020 से मिलने वाली किश्तों के लिए आधार नं0 का होना अनिवार्य होगा।

3— उक्त योजना को कियान्वित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जानी हैः—

1. यह कार्य जिलाधिकारी के नेतृत्व में किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी होंगे। कृषि विभाग इस योजना हेतु नोडल विभाग होगा।
2. जिलाधिकारियों के द्वारा राजस्व ग्रामवार भूलेख से कृषकों की सूची निकाल ली जाएगी तथा प्रत्येक राजस्व ग्राम में लघु एवं सीमान्त कृषकों को भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर चिन्हित कर लिया जाएगा।
3. कृषि विभाग के पारदर्शी किसान योजना के पोर्टल से भी राजस्व ग्रामवार लघु एवं सीमान्त कृषकों की सूची निकाल ली जाएगी तथा इसका मिलान भूलेख की सूची से कर लिया जाएगा।
4. मिलान करने के पश्चात् भूलेख में उपलब्ध लघु एवं सीमान्त कृषकों की सूची को दो भागों में विभक्त कर दिया जाएगा। भाग—एक में वह नाम रहेंगे जो पारदर्शी किसान की उस गॉव की सूची में उपलब्ध हो। भाग—दो में उस गॉव के वैसे लघु एवं सीमान्त कृषक होंगे जिनके नाम पारदर्शी किसान के पोर्टल में अंकित नहीं हैं।

—2—

G.O.

Scanned by CamScanner

5. **भाग–एक** में उपलब्ध कृषकों को परिवार के दृष्टिकोण से परीक्षित कर लिया जाएगा। यदि पति–पत्नी या उनके नाबालिग बच्चे, तीनों के नाम पर पृथक–पृथक भूमि उपलब्ध है तो उसे जोड़ते हुए एक इकाई माना जाएगा एवं तीनों में से किसी एक को ही लाभार्थी के अन्तिम सूची में रखा जाएगा। उक्त परिवार के अन्य ग्रामों में स्थित भूमि को भी जोड़ते हुए पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार से भाग–एक की सूचना को पूर्ण करते हुए तत्काल भारत सरकार के पोर्टल पर यह सूचना इनके बैंक खातों में धन स्थानान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी जानी है। सूची को उपलब्ध कराने के पूर्व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे ग्राम पंचायत के समक्ष प्रदर्शित (DISPLAY) किया जाएगा तथा बैंक खाता नं0 अथवा मोबाइल फोन नं0 आदि में कोई त्रुटि हो तो इसे नोट करते हुए तत्समय ही इसे संशोधित कर लिया जाएगा।
6. जनपद में लेखपालों की संख्या के बराबर की संख्या में अन्य विभाग यथा–ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, कृषि, सहकारिता इत्यादि के कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी। उक्तानुसार सूची बन जाने के पश्चात् लेखपाल एवं एक अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारी अर्थात दो कर्मचारियों की एक टीम बनायी जाएगी। प्रत्येक टीम को आवश्यकतानुसार राजस्व ग्रामों की संख्या का आवंटन किया जाएगा।
7. जिलाधिकारी स्तर से प्रत्येक 20 से 25 राजस्व ग्राम पर एक सेक्टर प्रभारी नामित किया जाएगा, जो योजना अन्तर्गत निर्दिष्ट समस्त कार्यो के समयबद्ध निष्पादन हेतु उत्तरदायी होंगे।
8. दिनॉक–05 फरवरी, 2019 को भूलेख एवं पारदर्शी पोर्टल से ग्रामवार सूची निकालना, प्रत्येक राजस्व ग्राम हेतु टीम का गठन एवं उनके गॉव भ्रमण का कार्यक्रम इत्यादि तैयार करने का कार्य पूर्ण किया जाएगा।
9. दिनॉक–06 फरवरी, 2019 से 11 फरवरी, 2019 के मध्य जनपद के सभी राजस्व ग्रामों का भ्रमण एवं सर्वेक्षण किया जाना है। प्रत्येक दिन सायंकाल से टीम के द्वारा सत्यापित किए गए ऑकड़ों को जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा अगले दिन इनकी साफ्टकापी जनपद में उपलब्ध डाटा इंट्री आपरेटर के माध्यम से तैयार करवायी जाएगी। इस कार्य हेतु जिलाधिकारीगण के द्वारा समस्त विभागों के डाटा इंट्री आपरेटर्स से आवश्यकतानुसार कार्य लिया जाएगा। डाटा को संग्रह किए गए सत्यापित डाटा को डिजिटाइज्ड करने एवं प्रधानमंत्री किसान पोर्टल में अपलोड करने की कार्यवाही जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।
10. इस प्रकार कार्यवाही करते हुए भूलेख से प्रत्येक राजस्व ग्राम के भाग–एक के डाटा को दिनॉक 12 फरवरी, 2019 तक प्रत्येक दशा में प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर अपलोड करवा दिया जाएगा।
11. शामिल खाता होने की स्थिति में प्रत्येक कृषक परिवार की भूमि की गणना पृथक–पृथक की जाएगी और परिवारों के लघु एवं सीमान्त की श्रेणी में आने पर उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। उदाहरण के रूप में यदि किसी खाते में 8.00 हेक्टेयर भूमि है और उसमें छः कृषक परिवार सह–खातेदार हैं तो अंश निर्धारण के आधार पर यदि एक अथवा एक से अधिक कृषक परिवार अथवा समस्त कृषक परिवार लघु एवं सीमान्त की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें तदनुसार इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
12. **भाग–दो** के कृषक परिवारों के बैंक खातों का विवरण/आधार कार्ड नं0(आधार इन्रोलमेंट नं0, यदि आधार कार्ड निर्गत नहीं हुआ है)/अन्य पहचान पत्र तथा मोबाइल फोन नं0 का संग्रह करने के लिए ग्राम स्तरीय टीम के द्वारा अपने पहले भ्रमण के समय ही दिनॉक 12 फरवरी, 2019 से 14 फरवरी, 2019 के मध्य की तिथियॉ निर्धारित कर दी जायेंगी। इन तिथियों में राजस्व ग्रामों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शेष रह गए कृषक परिवार अर्थात् भाग–दो के कृषकों की सूचना एकत्र

–3–

Scanned by CamScanner

की जाएगी। इस सूचना को भी पूर्व की भाँति प्रत्येक दिन सायंकाल जनपद स्तर पर उपलब्ध करवाया जाएगा एवं भाग–दो के डाटा को दिनॉक 13 फरवरी, 2019 से अपलोड करना प्रारम्भ करा दिया जाएगा। भाग–दो के ऑकड़ों की साफ्टकापी तैयार करने का कार्य दिनॉक 20 फरवरी, 2019 तक पूर्ण करते हुए इसे दिनॉक 22 फरवरी, 2019 तक प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।

13. पारदर्शिता के दृष्टिगत भूलेख के ऑकड़ों के आधार पर चयनित लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों की सूची को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर दिया जाएगा।

14. कतिपय श्रेणी के कृषकों के परिवारों को इस योजना के गाइड लाइन में अपात्र घोषित किया गया है, जो निम्नलिखित है:–

    क. भूतपूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पदधारक।

    ख. भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री एवं भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद, भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका के मेयर, भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष।

    ग. केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय/विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकार सहायतित अर्ध सरकारी संस्थान तथा सरकार से संबद्ध समस्त कार्यालय एवं स्वायत्तशाषी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी/समूह–घ के कार्मिकों को छोड़कर)।

    घ. लाभार्थी कृषक द्वारा विगत कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है।

    च. समस्त सेवानिवृत्त पेंशनधारक, जिनकी मासिक पेंशन रूपए 10 हजार या उससे अधिक है। (चतुर्थ श्रेणी/समूह–घ के सेवानिवृत्त पेंशनर्स को छोड़कर)।

    छ. पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेंट व आर्कीटेक्ट आदि जो संबंधित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत हैं और अपना पेशा कर रहे हैं।

    इस संबंध में एक घोषणा पत्र/सत्यापन रिपोर्ट का प्रारूप संलग्न है (संलग्नक–क)। राजस्व ग्राम के भ्रमण के समय लाभार्थी अथवा उसके पति/पत्नी से घोषणा पत्र भरवा लिया जाएगा। घोषणा–पत्र असत्य पाये जाने की दशा में इस योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि भू–राजस्व की भांति वसूल ली जायेगी।

15. **PM-KISAN** पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के पश्चात राजस्व ग्राम के सत्यापन प्रपत्रों एवं घोषणा पत्रों को संबंधित तहसील के अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जायेगा।

16. पात्रता निर्धारित करने हेतु भूलेख के दिनांक 01.02.2019 के डाटा को आधार माना जायेगा। इसके पश्चात भूलेख में विरासत के अतिरिक्त अन्य प्रकार से होने वाले परिवर्तन/संशोधन के आधार पर आगामी 05 वर्षो तक नये लाभार्थी नहीं बनाये जायेंगे।

17. भूलेख के ऑकड़ों और पारदर्शी किसान पोर्टल के ऑकड़ों को मैप करने के लिए एक प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा।

4– उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त जिलाधिकारियों को **Facilitate** करने के लिए है। वे अपने स्वयं के अनुसार भी अपनी **Strategy** में परिवर्तन कर सकते है परन्तु पात्रता की शर्तो में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है तथा उपरोक्तानुसार समय–सारणी का अनुपालन अनिवार्य है।

—4—

Scanned by CamScanner

5— यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसे समयबद्ध रूप से संपादित किया जाना आवश्यक है। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या— 6 / 2019 / 07—भा0स0(1) / 12—5—2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मत्रांलय, भारत सरकार को उनके उपयुर्क्त उल्लिखित पत्र दिनांक 01.02.2019 के संदर्भ में।
2— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3— समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5— स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8— निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
9— कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10— निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11— समस्त उप निदेशक, उत्तर प्रदेश।
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

संलग्नक–'क'

जनपद व तहसील का नामः

राजस्व ग्राम का नामः खतौनी खाता संख्याः

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु घोषणा पत्र

बिन्दु सं0	विवरण	घोषणा/ सत्यापन
क.	क्या आपके परिवार के पास 02 हेक्टेयर से अधिक जमीन है ?	हाँ/नहीं
ख.	क्या भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक हैं ?	हाँ/नहीं
ग.	क्या भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री **या** भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद **या** भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका के मेयर **या** भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं ?	हाँ/नहीं
घ.	क्या केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय/विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकार सहायतित अर्ध सरकारी संस्थान तथा सरकार से संबद्ध समस्त कार्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी/समूह–घ के कार्मिकों को छोड़कर) हैं ?	हाँ/नहीं
च.	क्या विगत कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है ?	हाँ/नहीं
छ.	क्या आपकी मासिक पेन्शन रू0 10,000 से अधिक है ?(चतुर्थ श्रेणी/समूह–घ के सेवानिवृत्त पेंशनर्स को छोड़कर)	हाँ/नहीं
ज.	क्या आप पेशेवर डाक्टर/इंजीनियर/अधिवक्ता/चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा आर्कीटेक्ट इत्यादि की श्रेणी में हैं और अपने से सम्बंधित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत हैं तथा तद्नुसार अपने पेशे में कार्यरत हैं ?	हाँ/नहीं

नोटः हाँ/नहीं में से जो उपयुक्त न हो, उसे काट दें।

मेरे द्वारा दिया गया उक्त विवरण सत्य है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा एवं मेरे परिवार से इस योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल ली जायेगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आधार नम्बर के प्रयोग हेतु मेरी सहमति है।

दिनांक :

हस्ताक्षर :

हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

कृषक से संबंध : स्वयं/पति/पत्नी

Scanned by CamScanner

F. No. 1-1/2019-Credit.I
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 1st February, 2019

To

Chief Secretaries of all States/UTs.

Subject: Launch of Income Support Scheme - **"Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi (PM-KISAN)"** for augmenting the income of Small & Marginal farmers-reg.

Sir,

The Government of India has decided to implement a new Central Sector Scheme, namely **"Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi (PM-KISAN)"**, for augmenting the income of farmers by providing income support to all small and marginal landholder farmer families across the country. The scheme will be 100% funded by Govt. of India.

2. Under the scheme, financial benefit of Rs.6000 per year will be provided to all small and marginal farmer families having total cultivable holding of upto 2 hectare. This will be provided in 3 equal installments of Rs.2000 each in a period of every four months in a financial year. **The benefit shall be admissible for the transfer w.e.f 01.12.2018.**

3. A small and marginal landholder farmer family for the purpose of the calculation of the benefit is defined as "a family comprising of husband, wife and minor children (upto 18 years of age) who collectively own cultivable land upto 2 hectare as per land records of the concerned State/UT".

4. The existing land-ownership system in the concerned States/UTs will be used for identification of beneficiaries. **Those whose names appear in land records as on 01.02.2019 shall be eligible for benefit.** If a Landholder Farmer Family (LFF) has land parcels spread across different village/revenue records, then land will be pooled for determining the benefit. Accordingly, it is of utmost importance that the land records are clear and updated and the State/UT Governments are requested to complete updation of land records for the purpose expeditiously. All States/UTs shall endeavor to complete the identification of beneficiaries and facilitate quick distribution of the benefit to the farmers.

5. In some of the North Eastern States, the land ownership rights are community based and it might not be possible to assess the quantum of LFFs. In such States, an alternate implementation mechanism will be developed and approved by the Committee of Union Ministers of Ministry of DoNER, Ministry of Land Resources, Union Agriculture Minister and concerned State Chief Ministers or their Ministerial representative. The Concerned North Eastern States are requested to send their proposal as soon as possible for finalization of modalities for identification of beneficiaries.

Scanned by CamScanner

6. The States shall prepare database of beneficiary Small and Marginal landholder farmer families in the villages capturing the Name, Gender, whether belonging to SC/ST, Aadhaar Number (Aadhaar Enrollment Number in case Aadhaar Number has not been issued), Bank Account Number and Mobile Number of the beneficiaries. For transfer of first installment of benefit for the period 01.12.2018 to 31.03.2019, Aadhaar number shall be collected wherever available and for others alternate prescribed documents namely driving licence, voters' ID card, NREGA Job Card, or any other identification document issued by Central/State/UT Govts or their authorities etc. can be collected for identity verification purposes. However for transfer of subsequent installments, Aadhaar number shall have to be compulsorily captured. States/UTs shall ensure that there is no duplication in the names of the eligible families. Speedy reconciliation in case of wrong/incomplete bank details of the beneficiary should be ensured by State/UT Govts.

7. The cut-off date for determination of ownership of land (as per land records) under the scheme as mentioned above is 01.02.2019 and changes thereafter in land records shall not be considered for eligibility of the benefit to the new land holder for next 5 years. However the Scheme benefit will be allowed on transfer of ownership of cultivable land on account of succession.

8. The benefit shall be transferred by Government of India to the bank account of the beneficiaries through State Notional Account. For transfer of benefit, District-wise beneficiaries lists shall be certified and uploaded by the States/UTs on the PM-KISAN Portal of Govt. of India and the funds will be electronically transferred to the beneficiary's bank account by GoI through State Notional Account on a pattern similar to MNREGS. The funds pertaining to income support benefit shall be released from GoI periodically based on receipt of fund transfer order through the concerned State/UT Govt with the eligible beneficiaries' details. States shall also notify District Level Grievance Redressal Committees for redressing all grievances related to implementation of the scheme.

9. A Project Monitoring Unit (PMU) at Central level will be set up in DAC&FW. This PMU shall be tasked with the responsibility of overall monitoring of the scheme and shall be headed by Chief Executive Officer (CEO). PMU shall also undertake publicity campaign (Information, Education and Communication-IEC).

10. States/UTs will also designate a Nodal Department for implementation of the Scheme. Maximum @ 0.25% of the funds transferred to beneficiaries in the first installment and thereafter maximum @ 0.125% for the subsequent installments shall be provided as administrative expenses to State/UT Govts to cover the expenditure on their PMUs, if established and for meeting other related administrative expenses including cost to be incurred for procurement of stationary, field verification, filling of prescribed formats, their certification and its uploading as well as incentive for field functionaries, etc. States/UTs will furnish the details of the account to which Administrative Charges are to be credited by the Central Government.

11. The beneficiary lists should be displayed/verified at Gram Panchayats to ensure greater transparency and accuracy of the list. States/UTs are also requested to ensure adequate publicity of the scheme as the intended beneficiaries are located in rural/remote areas.

Scanned by CamScanner

12. Detailed Operational Guidelines of the scheme including details of PM-KISAN portal, modalities of uploading beneficiaries details on the portal, transfer of benefit to the eligible beneficiaries and specific eligibility criteria and exclusion criteria are being sent separately. They would also be uploaded on the website of the Department (www.agricoop.gov.in). All the State/UT Governments are requested to take timely further action for the identification of eligible beneficiaries to ensure the transfer of benefits under the scheme.

13. As outlined above, there is an urgent need to put in place a mechanism for providing structured support to the most vulnerable sections of farming community i.e. Small and Marginal land holder farmer families in the country for meeting their various inputs and other needs and provide assured supplemental income to such farmer families. Hence, State/UT Govts are requested to immediately initiate the work of identification of beneficiaries and uploading the relevant data for release of funds by Govt. of India in the bank accounts of eligible farmer families.

14. "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" is an important flagship scheme of the Government of India for the benefit of farmers which requires constant monitoring to ensure timely preparation of accurate beneficiary list and transfer of benefit into the account of beneficiaries. Hence it is requested that Chief Secretaries may personally monitor the progress of implementation and do periodic reviews at their level for effective implementation.

Yours sincerely,

Sanjay 1/2/19

(Sanjay Agarwal)
Secretary to the Government of India

Distribution :

1. Secretary, Department of Expenditure, North Block, New Delhi.
2. Secretary, Department of Financial Services, Jeevandeep Building, New Delhi.
3. All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries (Agriculture) of all State/UT Govts.
4. Press Information Bureau, New Delhi.
5. NIC, DAC&FW, for uploading the guidelines on the Department's website.

Copy also for kind information to:

1. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Principal Secretary to PM, PMO, South Block, New Delhi.

Scanned by CamScanner